



ग्राहकों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगी ब्लैंडेड ऑयल कंपनियां, नए नियम लाने की तैयारी में FSSAI

इन नए नियमों के तहत अब ब्लैंडेड ऑयल पैकेट्स के ऊपर जिस तेल की मात्रा ज्यादा है उसकी ही तस्वीर ऊपर दिखाई जाएगी और नाम भी उसका ही लिखा होगा.



Written By:

[जी न्यूज़ डेस्क](#)

Aug 22, 2018, 02:28 PM IST

ट्रेडिंग न्यूज़

नई दिल्ली(सुमन अग्रवाल) : ब्लैंडेड एडिबल ऑयल पर नए नियम लाने को लेकर FSSAI ने अपनी कमर कस ली है. अब ब्लैंडेड एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी. कंपनियों को FSSAI की ओर से जारी किए गए लेबलिंग नियमों का पालन करना होगा. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, आगामी दो से तीन महीने के अंदर इसके लिए ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया. इस ड्राफ्ट के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को FSSAI की ओर से नए नियमों की मंजूरी दे दी है.

पैकेट पर छपेगी असल तेल की तस्वीर

इन नए नियमों के तहत अब ब्लेंडेड ऑयल पैकेट्स के ऊपर जिस तेल की मात्रा ज्यादा है उसकी ही तस्वीर ऊपर दिखाई जाएगी और नाम भी उसका ही लिखा होगा. मसलन अगर दो तेल मिलाए गए हैं और मात्रा 80:20 की है तो कंपनियों को तेल पैकेट के ऊपर 80 फीसदी वाले तेल का नाम और उसकी तस्वीर रखनी होगी. अभी ऐसा नहीं हो रहा है. जो तेल सस्ता होता है उसे ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है और तेल के पैकेट के ऊपर महंगा तेल जो कम मिलाया गया है उसकी तस्वीर या नाम लिखकर बेचा जाता है, जो बिल्कुल गलत है.

लेकिन कंपनियां अब ग्राहकों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगी. क्योंकि अब उन्हें इस नए नियम का पालन करना होगा. गौरतलब है कि पिछले दिनों FSSAI ने तेल कंपनियों के साथ एक बैठक की थी और कंपनियों इस नए नियम से पूरी तरह से सहमत है.

ये होंगे नए नियम

- अब ब्लेंडेड ऑयल खुले नहीं बिकेंगे.
- पैकेट के ऊपर कंपनियों को ये भी लिखना होगा कि वो तेल ब्लेंडेड है
- किस तेल को कितनी मात्रा में मिलाया गया है ये भी लिखना ही होगा.
- बोल्ड और कैपिटल लेटर में लिखना होगा तेल का नाम
- लेबलिंग साइज 10 मिलीमीटर से कम नहीं होगा.